फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री शांतिलाल पिता श्री लालू जी नाई नि0 सोलंकी दरवाजा के अंदर वार्ड नं. 5 देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द **– अपीलार्थी**

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द
2. लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 43/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 01.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द एवं उपखण्ड अधिकारी भीम से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द एवं उपखण्ड अधिकारी भीम से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :– एफ.1( )सू0अ0, 05/2025/439 दिनांक 03.06.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 02.04.2025 का सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय को 08.04.2025 को प्राप्त हुआ है। आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध इस कार्यालय से नहीं होकर उपखण्ड कार्यालय देवगढ़ की होने से इस कार्यालय द्वारा अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के पत्रांक 312 – 313 दिनांक 08.04.2025 से संबंधित कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द को अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को भी प्रति पृष्ठांकित की जाकर जरिये डाक प्रेषित की गई। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन से चाही गई सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर उपखण्ड कार्यालय देवगढ़ जिला राजसमन्द की होने से समयावधि में अन्तरण की जाकर प्रार्थी को सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ द्वारा जरिये पत्र क्रमांक आरटीआई/09/अपील/43/2025/360 दिनांक 10.07.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री शांतिलाल पिता लालू जी नाई निवासी सोलंकी दरवाजा वार्ड न. 05 देवगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंकित दिनांक 02.04.2025 का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्ग प्राप्त हुआ उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर यह प्रतीत हुआ कि चाही गई सूचना तहसील कार्यालय देवगढ़ से संबंधित है। हाजा कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/09/2025/141 दिनांक 15.04.2025 द्वारा सूचना के अधिकार

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(1)(2) के तहत उक्त प्रार्थना पत्र का अन्तरण तहसीलदार देवगढ़ को किया गया। तहसीलदार देवगढ़ के पत्रांक सुकाअ/07/2025/40 दिनांक 05.06.2025 से प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी उपलब्ध करवा दी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील निरस्त कराना फरमावे।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम द्वारा जरिये पत्रांक प0 सू0अ0/2025/1537–38 दिनांक 10.06.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार इस कार्यालय से वांछित सूचना शून्य है। और इस संबंध में आवेदक को जरिये रजिस्टर्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 898 दिनांक 25.04.2025 द्वारा सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना का संबंध तहसीलदार देवगढ़ से होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का अन्तरण तहसीलदार देवगढ़ को किया गया। तथा तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार चाही गई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से सूचना तक पहुँच बनाया जाना संभव नहीं है और इसके संबंध में प्रार्थी को तहसीलदार देवगढ़ से पत्रांक सुकाअ/07/2025/40 दिनांक 05.06.2025 को सूचित किया गया। तथा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम द्वारा भी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार वांछित सूचना शून्य है। तथा इस संबंध में आवेदक को जरिये रजिस्टर्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 898 दिनांक 25.04.25 द्वारा सूचित किया गया।

अतः लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ तथा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम द्वारा कमशः जरिये पत्रांक सुकाअ/07/2025/40 दिनांक 05.06.2025 तथा पत्र क्रमांक 898 दिनांक 25.04.2025 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किये जाने से उक्त अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द, उपखण्ड अधिकारी भीम, उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ तथा तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)